राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13178/2021

1. कुणाल शर्मा पुत्र श्री मन मोहन शर्मा, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी वीपीओ-नाघोरी, तहसील-नीमराना, जिला अलवर।

2. मन मोहन शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास शर्मा, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वीपीओ-नाघोरी, तहसील-नीमराना, जिला अलवर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. भारतीय संघ, अपने सचिव के माध्यम से, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मुख्यालय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नई दिल्ली-110002।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अपने महानिदेशक के माध्यम से, कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110011 में।

3. मेडिकल कमेटी, नीट यूजी 2021 के लिए अपने सचिव के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार, निर्मित भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011।

4. महानिदेशक, मुख्यालय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नई दिल्ली-110002।

5. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

6. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव के माध्यम से, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर-302005।

7. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, चरण-1, नई दिल्ली।

8. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, सी-20, 1ए/8, सेक्टर-62, आईआईटीके आउटरीच सेंटर, नोएडा-201309।

9. रैफल्स विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से, नीमराणा, जिला अलवर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह तंवर, अधिवक्ता श्री शोभित तिवारी, अधिवक्ता की ओर से।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री दिव्येश माहेश्वरी, अधिवक्ता श्री अंगद मिर्धा, अधिवक्ता डॉ. अर्जुन सिंह खंगारोत, अधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री हर्षल ठोलिया, अधिवक्ता के साथ [सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से]

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्टेबल

11/01/2022

वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्तागण अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर की गई है, जो एम.बी.बी.एस./बीडीएस अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से एक उम्मीदवार और बीमित व्यक्ति का वार्ड है और याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 का पिता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों के अनुसार खुद को बीमित व्यक्ति होने का दावा करना।

वर्तमान रिट याचिका में उठाई गई शिकायत याचिकाकर्ता संख्या 1 को बीमित व्यक्ति के वार्ड के रूप में प्रवेश के लिए पात्र नहीं मानने के संबंध में है और प्रत्यर्थी-निगम द्वारा जारी दिनांक 04.10.2021 के आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता संख्या 1 को लाभ नहीं दिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को 31.03.2021 को बीमाकृत व्यक्ति नहीं बताया गया है।

मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा [(एनईईटी (यूजी)] 2021 के

लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

सूचना पुस्तिका जारी की गई थी जिसमें विस्तृत जानकारी थी और सूचना पुस्तिका के अनुसार, उपस्थित होने/प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड प्रदान किए गए थे।

याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सूचना पुस्तिका में नोटिस के संदर्भ में खुद को योग्य पाया और एनईईटी (यूजी) 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश-पत्र जारी किया गया।

याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित हुआ और परिणाम 01.11.2021 को घोषित किया गया और कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 97.4779718 प्रतिशत स्कोर हासिल किया और अखिल भारतीय रैंक 38661 के साथ 720 में से 562 अंक हासिल किए।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 13.09.2021 को, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (बाद में "ईएसआईसी" के रूप में संदर्भित) ने यूजी पाठ्यक्रमों में बीमित व्यक्तियों (आईपी) के बच्चों के प्रवेश के लिए एक प्रवेश नोटिस जारी किया और इसमें प्रावधान किया गया कि बीमा किया जाएगा। एम.बी.बी.एस./बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए व्यक्तियों का कोटा उन उम्मीदवारों के पक्ष में है, जिनके माता-पिता में से कोई एक 31.03.2021 तक बीमित व्यक्ति है और उनके पास बीमित व्यक्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए और उम्मीदवार के पास बीमित व्यक्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए। उक्त नोटिस से यह भी पता चलता है कि खंड संख्या 7.10 में प्रावधान है कि बीमित व्यक्ति (आईपी) के लिए पात्रता की जांच करने की महत्वपूर्ण तारीख 31.03.2021 होगी और खंड संख्या 5.2.2 (ख) में निर्दिष्ट किया गया है कि उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्रीय निदेशक/एसआरओ द्वारा वैध वार्ड ऑफ आईपी प्रमाणपत्र जारी होना चाहिए।

याचिकाकर्ता संख्या 2 ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता होने के नाते 01.01.2017 से 06.05.2020 तक एमडीवीएम (पारले) स्कूल, नीमराणा, अलवर में लैब असिस्टेंट के पद पर काम किया था और काम करते समय ऐसे नियोक्ता के साथ, नियोक्ता द्वारा ईएसआई योगदान नियमित रूप से जमा किया जाता था और उसका खाता सक्रिय था। यह दलील दी गई है कि कोविड-19 की स्थिति और स्कूल के कामकाज पर सीधे प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता संख्या 2 को जारी नहीं रखा गया और इस तरह याचिकाकर्ता संख्या 2 को रैफल्स यूनिवर्सिटी, नीमराना में लैब

असिस्टेंट के पद पर रोजगार मिल गया। कहा जाता है कि दिनांक 03.03.2021 को नियुक्ति आदेश जारी करते हुए, याचिकाकर्ता संख्या 2 उसी दिन शामिल हो गया और उसने रिट याचिका के अनुबंध-9 के रूप में उपस्थिति रजिस्टर को रिकॉर्ड में रखा है।

याचिकाकर्ता संख्या 2 ने दलील दी है कि रैफल्स यूनिवर्सिटी ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को 03.03.2021 से लैब असिस्टेंट के रूप में काम करने का प्रमाणपत्र भी जारी किया है। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने मार्च, 2021 की अपनी वेतन पर्ची और अपने बैंक स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड में रखा है। वेतन पर्ची दर्शाती है कि ईएसआई योगदान के लिए 148/- रुपये की कटौती की गई थी और उन्हें 21,000/- रुपये का सकल वेतन दिया गया था और कटौती के बाद उनका शुद्ध वेतन 19,497/- रुपये था।

याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 23.09.2021 को वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन किया और आवश्यक दस्तावेज जमा किए और उसी दिन, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ईएसआईसी जयपुर में आवेदन किया।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि 04.10.2021 को याचिकाकर्ता संख्या 1 का आवेदन इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 2, 31.03.2021 को बीमित व्यक्ति नहीं था।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि जब उन्होंने ईएसआईसी के पोर्टल से बीमित व्यक्तियों का विवरण डाउनलोड किया, तो उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति की वर्तमान तिथि 03.03.2021 के बजाय गलत तरीके से 13.05.2021 दिखाई गई है।

कहा जाता है कि याचिकाकर्तागण ने उचित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अलग-अलग अभ्यावेदन दिए हैं, हालांकि, जब प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता-श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह तंवर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित तिवारी, अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

(1) दिनांक 13.09.2021 के प्रवेश नोटिस की धारा संख्या 7.10 में प्रावधान है कि अपने वार्ड के लिए बीमित व्यक्ति कोटा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बीमित

व्यक्तियों की पात्रता 31.03.2021 थी और चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति था। 1948 के अधिनियम 31.03.2021 के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 बीमित व्यक्ति कोटा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था।

याचिकाकर्ता संख्या 2 चूंकि 03.03.2021 से रोजगार में था और यदि नियोक्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के वेतन से कटौती की है, तो याचिकाकर्ता संख्या 2 को 31.03.2021 की महत्वपूर्ण तिथि के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति माना जाएगा।

(2) याचिकाकर्ता संख्या 2 के प्रत्यर्थी-निगम द्वारा 13.05.2021 से ली गई रोजगार की तारीख, प्रत्यर्थी-निगम की ओर से एक गलत कार्य है और केवल तभी जब योगदान बाद में नियोक्ता द्वारा दिया गया हो और जमा किया गया हो ईएसआईसी के साथ, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्तागण को बीमित व्यक्ति के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। नियोक्ता की त्रुटि बीमित व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकती है और प्रासंगिक तिथि योगदान की कटौती होगी और नियोक्ता द्वारा उसे निगम को जमा नहीं करना होगा।

(3) प्रत्युत्तर के साथ अनुलग्नक-19 के रूप में दायर नोटिस दिनांक 13.09.2021, खंड 8.3.10 में प्रदान करता है कि उन आईपी की वास्तविक स्थिति जो 31.03.2021 के बाद पंजीकृत हैं, लेकिन 31.03.2021 से पहले लाभ का दावा करते हैं, उन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी और इस तरह भले ही याचिकाकर्ता संख्या 2 की स्थिति 31.03.2021 के बाद पंजीकृत की गई हो, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्तागण को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाभ का दावा पहले योगदान की कटौती 31.03.2021 के आधार पर किया जाता है।

(4) विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अंशदान का भुगतान न करने और अंशदान जमा करने के लिए नियोक्ता की कार्रवाई या गैर-क्रिया के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने ***भारगथ इंजीनियरिंग बनाम आर. रंगनायकी और अन्य, 2003 (2) एससीसी 138*** के मामले में विचार किया है।

(5) इसी तरह के विवाद की जांच केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के ***डब्ल्यूपी (सी) संख्या 17305 (हरि आर. नायर और अन्य बनाम महानिदेशक और अन्य)*** में दिनांक 04.07.2018 के निर्णय द्वारा भी की गई है।

विद्वान अधिवक्ता-डॉ. प्रत्यर्थी-ईएसआईसी की ओर से उपस्थित अर्जुन सिंह खंगारोत ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्तागण को प्रमाणपत्र देने से इनकार करने में प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई उचित है क्योंकि प्रवेश नोटिस दिनांक 13.09.2021 के खंड 8 में स्पष्ट रूप से अपने नोट में बताया गया है कि आईपी कोटा के तहत पात्रता के लिए महत्वपूर्ण तिथि 31.03.2021 होगी अर्थात केवल वही व्यक्ति जो 31.03.2021 को अधिनियम के अनुसार बीमित व्यक्ति है, अपने बच्चे/बच्चों के लिए बीमित व्यक्ति कोटा का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

प्रत्यर्थी-ईएसआईसी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि 31.03.2021 की महत्वपूर्ण तिथि पर, याचिकाकर्ता संख्या 2 एक बीमित व्यक्ति नहीं था और इस तरह कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था।

प्रत्यर्थी-ईएसआईसी के अधिवक्ता ने आगे कहा कि उत्तर में पैरा 8 के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 2 के दूसरे नियोक्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति की तारीख 31.05.2020 (पंजीकरण की तारीख 09.06.2020) दिखाई थी) और अंतिम कार्य दिवस की तारीख 30.11.2020 थी।

प्रत्यर्थीगण ने आगे दलील दी है कि नियोक्ता ने 22.05.2021 को पंजीकरण करते समय याचिकाकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति की तारीख 13.05.2021 दिखाई थी और याचिकाकर्ता संख्या 2 के दोनों नियोक्ता ने अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान दिखाई थी। कुल 42 दिनों की अवधि के लिए योगदान जमा किया और अतः 31.03.2021 तक, याचिकाकर्ता संख्या 2 बीमित व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंगद मिर्धा और श्री दिव्येश माहेश्वरी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में विवाद याचिकाकर्तागण की पात्रता को बीमाकृत व्यक्तियों और उनके वार्ड के रूप में नहीं मानने के संबंध में है और इस प्रकार, प्रतियोगी प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाई गई दलीलों पर इस न्यायालय को विवाद को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

इस न्यायालय ने पाया कि बीमित व्यक्ति की परिभाषा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 (14) में दी गई है और बीमित व्यक्ति का मतलब एक ऐसा

व्यक्ति है जो एक कर्मचारी है या था जिसके संबंध में योगदान अधिनियम के तहत देय है या थे और जो इस कारण से, इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लाभ का पात्र है।

यह न्यायालय आगे पाता है कि अधिनियम की धारा 39 योगदान के बारे में प्रदान करती है और उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसार यदि अधिनियम के तहत देय कोई भी योगदान मुख्य नियोक्ता द्वारा उस तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है जिस दिन ऐसा योगदान दिया गया है देय हो जाने पर, वह वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष की दर से या ऐसी उच्च दर पर, जैसाकि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

खंड (क) के तहत वसूली योग्य ब्याज की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में या धारा 45-सी से धारा 45-आई के तहत वसूल किया जा सकता है।

यह न्यायालय आगे पाता है कि अधिनियम की धारा 68 निगम के अधिकारों से संबंधित है जहां एक प्रमुख नियोक्ता किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है और यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भी प्रमुख नियोक्ता अधिनियम के तहत किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है जिसे वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। किसी भी कर्मचारी के संबंध में और इस कारण से ऐसा व्यक्ति किसी भी लाभ से वंचित हो जाता है या निचले पैमाने पर लाभ का पात्र हो जाता है, निगम इस बात से संतुष्ट होने पर कि योगदान का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए था, उस व्यक्ति को भुगतान कर सकता है यदि विफलता या उपेक्षा नहीं हुई होती तो वह जिस दर पर लाभ का पात्र होता, उस दर पर लाभ और निगम मुख्य नियोक्ता से या तो निगम द्वारा उक्त व्यक्ति को भुगतान की गई लाभ की राशि के बीच के अंतर की वसूली करने का पात्र होगा और लाभ की राशि जो नियोक्ता द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए योगदान के आधार पर देय होगी या योगदान की राशि का दोगुना होगा।

उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बीमित व्यक्ति न केवल वह व्यक्ति है जिसने योगदान का भुगतान किया है, बल्कि इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसका योगदान देय है और नियोक्ता की ओर से देरी, आदि जैसे किसी भी

कारण से वास्तव में भुगतान नहीं किया गया है। .

इस न्यायालय ने आगे पाया कि यह मुख्य नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह अधिनियम के तहत देय तिथि पर योगदान का भुगतान करे और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो निगम के पास शुल्क लगाकर भी मुख्य नियोक्ता से इसे वसूल करने की शक्ति है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि यदि नियोक्ता की ओर से कोई उपेक्षा हुई है, तो धारा 68 में निहित प्रावधान के अनुसार, यदि नियोक्ता योगदान जमा करने में विफल रहा है तो उस व्यक्ति को लाभ या उसकी पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, 31.03.2021 से पहले का पंजीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और दिनांक 13.09.2021 के नोटिस के खंड 8.3.10 के अनुसार, 31.03.2021 के बाद पंजीकृत आईपी की स्थिति लेकिन 31.03.2021 से पहले दावा लाभ प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

वर्तमान मामले में तथ्य बताते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 2, 03.03.2021 को दूसरे नियोक्ता के साथ कार्यरत था, उसकी मार्च 2021 माह की वेतन पर्ची से यह भी पता चलता है कि ईएसआई कटौती उसके वेतन से 148/- रुपये की गई थी और मार्च, 2021 के वेतन-पर्ची के साथ बैंक विवरण से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 को ईएसआई योगदान की कटौती के बाद वेतन मिला था।

यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि चूंकि नियोक्ता द्वारा ईएसआई निगम के साथ योगदान जमा नहीं किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 1 बीमित व्यक्ति के वार्ड का प्रमाणपत्र जारी करने का पात्र नहीं होगा। यदि बीमित व्यक्ति ने 31.03.2021 से पहले अपने नियोक्ता को योगदान का भुगतान किया था, तो कटौती के बावजूद योगदान जमा न करने पर व्यक्ति बीमित व्यक्ति के वार्ड के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा 31.03.2021 के बाद केवल योगदान प्राप्त करना और बीमित व्यक्ति की रोजगार तिथि के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना, जो इसे योगदान के रिकॉर्ड के विपरीत दिखाता है, अधिनियम के तहत बीमित व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं करेगा।

इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने भारगथ इंजीनियरिंग बनाम आर रंगनायकी और अन्य (सुप्रा.) के मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि नियोक्ता को यह तर्क देने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि चूंकि उसने कर्मचारी के वेतन पर कर्मचारी के योगदान में कटौती नहीं की है, अतः वह उत्तरदायी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 38 नियोक्ता पर अपने कर्मचारियों का बीमा करने का वैधानिक दायित्व डालती है और शुरुआत की तारीख संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख से होनी चाहिए।

इस न्यायालय ने यह भी पाया कि केरल उच्च न्यायालय ने हरि आर. नायर और अन्य बनाम महानिदेशक एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में भी इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया है और पाया है कि निगम अन्यथा पात्र बीमाकृत व्यक्ति को इस आधार पर प्रमाणपत्र देने से इनकार नहीं कर सकता है कि नियोक्ता ने योगदान दिया है या देर से रिटर्न दायर किया है।

इस न्यायालय ने तदनुसार, पाया कि प्रत्यर्थी-निगम ने दिनांक 04.10.2021 को आदेश जारी करने में मनमाने ढंग से काम किया है और तदनुसार, इसे अपास्त कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता संख्या 1 को ईएसआईसी कोटा में प्रवेश के उद्देश्य से बीमित व्यक्ति के वार्ड के रूप में दर्जा देने का पात्र माना जाता है।

प्रत्यर्थी-निगम याचिकाकर्ता संख्या 1 को कम से कम समय के भीतर और अधिमानतः इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) दिनों के भीतर आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ईएसआई कोटा में प्रवेश के उद्देश्य से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होगा और यदि उसे अपनी योग्यता और पात्रता मिलती है, तो उसके मामले पर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रवेश के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

RameshVaishnav/86

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।